

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- लेखा/फिक्से./विविध/एनपीएस/2017/ 4518

दिनांक : 6-12-17

1. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।

विषय :- राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के अन्तर्गत कार्मिकों के वेतनमान में वेतन नियतन बाबत।

प्रसंग:- निदेशालय के पत्रांक लेखा/फिक्से./विविध/एनपीएस/2017/3976
दिनांक 08.11.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की निरन्तरता में जिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में सहायक लेखाधिकारियों के पद रिक्त होने की स्थिति में (उसी जिले के) निम्न अधिकारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 के वेतनमान में कार्मिकों के वेतन नियतन हेतु अधिकृत किया जाता है:-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	अधिकृत अधिकारी
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी-I कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
2.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी-I कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- लेखा/फिक्से./विविध/एनपीएस/2017/ 4518

दिनांक : 06-12-2017

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक लेखाधिकारी-I कार्यालय समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन।
2. सहायक लेखाधिकारी-I कार्यालय समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
3. सहायक लेखाधिकारी-I कार्यालय समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराये।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर